भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(2)

**माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ भोपाल म.प्र.**

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3825 प्रकरण कं................

गजराज सिंह आ0 मन्नूलाल राजपूत

आयु वयस्क, जाति–राजपूत

निवासी–ग्राम व कृषक सेमरी खुर्द

तहसील बैरसिया जिला भोपाल ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

चंदन सिंह आत्मज श्री भोलाराम मालवीय

आयु वयस्क, जाति–धोबी,निवासी–ग्राम व

कृषक सेमरी खुर्द तहसील बैरसिया

जिला भोपाल म.प्र. ---- प्रतिअपीलार्थी

आवेदक अभिभाषक श्री विनोद विश्वकर्मा द्वारा दिनांक–27/9/17 को भोपाल कैंप में प्रस्तुत किया गया।

Khushal 27/9/17

Thakur

**~~अपील~~ पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959**

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन हैः–

1. यह कि अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी की कृषिभूमि ग्राम सेमरी खुर्द में स्थित है तथा दोनों ही आपस में मेडिया कृषक होकर कृषिकार्य करते है।

2. यह कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा एक प्रकरण माननीय राजस्व निरीक्षक बैरसिया के समक्ष सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया था तथा अपनी स्वयं की भूमि खसरा कं 287/50/1 रकवा 1.190 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराना चाहा था उक्त आवेदन पर राजस्व प्रकरण कं 74/अ–12/2016–17 अंकित किया गया था तत्पश्चात बिना कोई सूचना दिये तथा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में सीमांकन आदेश दिनांक 12.06.17 को पारित कर यह निर्धारित किया गया कि उपरोक्त भूमि जिसका सीमांकन प्रतिअपीलार्थी द्वारा चाहा गया था, पर दिनांक 12.06.17 को प्रतिअपीलार्थी की भूमि पर अपीलार्थी कृषक गजराज सिंह आत्मज मन्नूलाल का 0.129 हेक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया है।

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3825

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3-4-2018 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 12-6-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27-9-2017 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में 1996 आर.एन. 257 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. छतरपुर तथा एक अन्य विरूद्ध काशी प्रसाद गुप्ता में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-<br>"धारा 5-विलम्ब की माफी के लिए आवेदन पत्र तथा शपथपत्र फाईल नहीं किया गया-5 दिन का विलंब माफ नहीं किया जा सकता।"<br>राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित हितबद्ध व्यक्तियों को सीमांकन की सूचना दी गई है । आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था, किन्तु उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन से होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |